



राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141-5114117, E-mail : jdagr\_wuc@rediffmail.com

क्रमांक एफ 8( )/आ०क०./जउप्र/राकृवियो/जलहौज/2016-17/1723-1871

दिनांक : २९.४.२०१६

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद, जयपुर/अजमेर/दौसा/सीकर/झुन्झुनू/बीकानेर/चूरू/जोधपुर/बाड़मेर/नागौर/जालौर/पाली/सिरोही/जैसलमेर/बूंदी/राजसमंद, हनुमानगढ़।

विषय:- वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जलहौज निर्माण कार्यक्रम कियान्वयन के दिशा निर्देश।

प्रसंग:- आयुक्तालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 332-498 दिन 04.04.2016 एवं पत्रांक 755-876 दिन 06.04.2016 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में जलहौज निर्माण कार्यक्रम कियान्वयन के क्रम में जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु योजनान्तर्गत दिशा निर्देश मय प्रस्तावित लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 में ऑन-लाइन प्राप्त आवेदनों पर ही अनुदान प्रक्रिया की कार्यवाही की जावे। माह जून-जुलाई, 2016 में शिविर आयोजित कर कृषकों से जलहौज निर्माण के ऑन-लाइन अधिकाधिक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

दिशा निर्देशों के अनुसार प्रगति प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई-मेल व हार्ड कापी में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. नीरज के.पवन)

आयुक्त कृषि एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक एफ 8( )/आ०क०./जउप्र/राकृवियो/जलहौज/2016-17/1723-1871

दिनांक : २९.४.२०१६

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज० जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर/कोटा/जोधपुर।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी.....सम्मुखी।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नावार्ड, नेहरू प्लेस, टॉक रोड, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/उद्यान, मु० जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं सूल्यांकन/आदान/विस्तार/आईसोपोम/सांख्यिकी/पौ०स०/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
17. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)..... खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई-मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगे।
18. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
19. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
20. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
21. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
22. ए.सी.पी. कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागीय वैब साईट पर अपलोड करावे।
23. उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, जयपुर/अजमेर/दौसा/सीकर/झुन्झुनू/बीकानेर/चूरू/जोधपुर/बाड़मेर/नागौर/जालौर/पाली/सिरोही/जैसलमेर/बूंदी/राजसमंद/हनुमानगढ़ समीक्षाकर प्रगति ई-मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगे।
24. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), .....
25. जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी, बज्जू/मोहनगढ़/भीकमपुर/कोटा/बूंदी/सुल्तानपुर।
26. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।

(आर. डी. सिंह)

संयुक्त निदेशक कृषि (शब्द)  
जल उपयोग प्रकोष्ठ

# कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

## जल हौज निर्माण

वर्ष 2016-17

### जल हौज निर्माण कार्यक्रम के दिशा निर्देश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में जल हौज निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों से प्राप्त पत्रावलियों पर अनुदान भुगतान हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

#### जल हौज की उपयोगिता

सिंचाई जल के आवश्यकतानुसार एवं कुशलतम उपयोग हेतु, जल हौज एक महत्वपूर्ण संरचना है। राज्य के अधिकांश जिलों में भूमिगत जल लगभग 400 से 500 फीट गहरा है एवं इतनी गहराई से जल निकासी हेतु 20-30 हार्स पॉवर विधुत चलित मोटर/पम्प की आवश्यकता होती है। ऐसे पम्पों को सीधे ही पाईपलाइन एवं फव्वारा सैटों से जोड़ कर सिंचाई करने में अतिरिक्त दबाव (Pressure) की आवश्यकता होती है जिससे सिंचाई हेतु काम में ली जा रही फव्वारा नोजल की संख्या कम होने के कारण सिंचित क्षेत्र में भी कमी आती है।

जल हौज के निर्माण उपरान्त अधिक गहराई वाले भूमिगत जल को 15-20 हार्स पॉवर की मोटर से लिफ्ट कर हौज में आसानी से भरा जा सकता है एवं तत्पश्चात हौज में उपलब्ध जल को 5 हार्स पॉवर के बूस्टर से सिंचाई हेतु काम में लेकर अधिक संख्या में नोजल चलाये जा सकते हैं जिससे सिंचित क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होती है।

ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई हेतु बिजली की आपूर्ति रात के समय उपलब्ध होती है, उन क्षेत्रों में जल हौज का निर्माण कर कुएं अथवा नलकूप के जल को हौज में एकत्रित किया जाकर दिन के समय आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु काम में लिया जा सकता है।

#### जल हौज हेतु स्थान का चुनाव, डिजायन व निर्माण :-

जल हौज खेत के सबसे ऊपरी बिन्दु पर स्थानीय उपलब्ध सामग्री द्वारा निर्मित किया जा सकता है। हौज की क्षमता इतनी होनी चाहिए जिसमें 8 से 10 घंटे का जल भर सके। इसके लिए न्यूनतम आकार 30X20X06 फीट या कृषक की सुविधा अनुसार इससे अधिक आकार का जल हौज का निर्माण किया जा सकता है। हौज निर्माण में फरमे अथवा ईट, सीमेंट व बजरी का उपयोग करके 20 से.मी. चौड़ाई की सीमेंट कंकरीट की सीधी दीवार तल में 8 इंच मोटाई का पक्का एवं मजबूत फर्श बनाया जावें तथा एकत्रित जल का उपयोग फव्वारा/ड्रिप सिंचाई संयंत्र के द्वारा किया जावे। हौज की दीवारों में हल्की ढलान तथा दीवारों के बाहरी तरफ मिट्टी का सपोर्ट देने से दीवारों को मजबूती मिलती है। हौज निर्माण हेतु लोहे के सरियों का उपयोग हौज के कोनों में करना जरूरी है। जिससे हौज में दरार न पड़े। हौज का निर्माण आंशिक रूप से भूमि के अन्दर व आंशिक रूप से भूमि के बाहर होना चाहिए तथा दीवारें टूटे नहीं इसलिए चारों तरफ से मिट्टी की कच्ची दीवार बनाना तथा कुशल कारीगर द्वारा निर्माण कराना जरूरी है।

#### अनुदान के लिये पात्रता :-

- जिन कृषकों के नाम पर भूमि का न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हैक्टेयर का स्वामित्व है उन कृषकों को ही जलहौज निर्माण हेतु अनुदान देय होगा।

2. कृषक को अनुदान हेतु आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।
3. अनुदान हेतु जलहौज की न्यूनतम भराव क्षमता 01 लाख लीटर या लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई (30X20X06 फीट या 3600 घन फीट) आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार निर्धारित माप या कुल आयतन से अधिक है तो लाभार्थि कृषक को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रु. 350/- प्रति घन मीटर भराव क्षमता या अधिकतम रूपये 75000/- जो भी कम हो अनुदान देय होगा।
4. जल हौज पर अनुदान नकद या बैंक से ऋण लेकर तैयार करने पर ही देय है।
5. सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे जिसमें आवंटित कुल लक्ष्यों में से, अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत, महिला श्रेणी कृषकों को 30 प्रतिशत एवं लघु/सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता प्रदान की जावे। अजा/अजजा के कृषक जाति प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति अथवा भूमि स्वामित्व की पास बुक जिसमें कृषक श्रेणी/वर्ग का उल्लेख हो प्रस्तुत करेंगे।
6. जल हौज कृषि कार्यों हेतु व्यक्तिगत लाभ की योजना होने के कारण किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/कॉलेज/मंदिर/धार्मिक संस्थान आदि को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जावे।
7. जिन कृषकों के नाम पर भूमि का स्वामित्व है तथा कृषक के पास स्वयं का कुआं अथवा नलकूप है व उस पर विद्युत/डीजल चलित पंप सेट है, उन कृषकों को ही हौज निर्माण हेतु अनुदान देय होगा। यदि कृषक के दादा/पिता के स्वर्गवास होने पर प्रार्थी कृषक के नाम विद्युत कनेक्शन हस्तान्तरित नहीं हुआ है परन्तु अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा शपथ पत्र पर सहमति/अनापत्ति दिये जाने पर कृषक को जल हौज निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।
8. जिन कृषकों ने पूर्व में फब्बारा संयंत्र अथवा पाइप लाइन पर अनुदान प्राप्त कर लिया है उनको भी जल हौज हेतु अनुदान दिया जा सकता है।
9. कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त जल हौज का रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।
10. सभी श्रेणी के कृषक जिनके पास स्वयं का कुआं अथवा नलकूप चालू हालत में हैं, अनुदान के पात्र होंगे।
11. अनुदान हेतु कृषक को निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। कृषक जमाबंदी की नकल देगा तथा सादा पेपर पर शपथ पत्र देगा कि उसके पास कुल हैक्टर सिंचित हैक्टर—असिंचित भूमि है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में उसके नाम से कोई जमीन नहीं है।
12. कृषक को केवल एक बार ही जल हौज निर्माण हेतु अनुदान देय होगा। जिन कृषकों ने पूर्व में विभागीय योजना के अन्तर्गत हौज निर्माण हेतु अनुदान ले रखा हो उन्हें दुबारा अनुदान देय नहीं होगा।
13. जल हौज निर्माण पर फब्बारा/ड्रिप सिंचाई संयंत्र की स्थापना करने के उपरान्त ही कृषक को अनुदान देय होगा। नव निर्मित जल हौज पर फब्बारा/ड्रिप सिंचाई संयंत्र पूर्व में स्थापित अथवा नव स्थापित हो सकता है।

14. उप निदेशक कृषि (विस्तार) प्रत्येक मौह की कार्य योजना तैयार की जाकर क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों से विचार विमर्श कर निर्धारित कार्यों की समय-2 पर समीक्षा कर प्रत्येक माह प्रगति से खण्डीय कार्यालय को अवगत करायेगे।

#### आवेदन पत्रों का प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण :-

(अ) कियोस्क के माध्यम से आवेदन किये जाने पर

- कृषक नजदीकी नागरीक सेवा केन्द्र/ई मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन पत्र को पोर्टल से डाउनलोड कर सकेगा। हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा करवायेगा।
- कियोस्ककर्ता मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।
- कियोस्ककर्ता आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद देगा।
- संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा, उपलब्ध आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर आवश्यक कार्यवाही करनी होगी एवं समय समय पर आवेदनों की वस्तु स्थिति (status) का अद्यतन (update) करना होगा।
- इन सेवाओं से संबंधित वस्तु-स्थिति (status) एवं आदेश/प्रमाणपत्र/मंजूरी इत्यादि आवेदकों को ऑन-लाईन/एस एस द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी। जिसे आवेदकों द्वारा कियोस्क या स्वयं के माध्यम से छापकर (print-out) प्राप्त किया जा सकता है।
- मूल दस्तावेजों को कियोस्ककर्ता /लोकल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से महीने में एक बार संबंधित विभाग के कार्यालयों में भिजवाया जायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।
- ऑफ लाईन आवेदन पत्र नहीं लिये जावें।

(ब)-आवेदक द्वारा स्वयं ही ऑन-लाईन आवेदन किये जाने पर :-

- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।

15. कृषक द्वारा जिले मे कार्यरत नागरीक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र की जानकारी जिला कलक्टर कार्यालय अथवा ई-मित्र पोर्टल ([www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in)) से प्राप्त की जाकर आवेदन किया जा सकता है।

16. आवेदन प्रार्थना पत्र आवेदित दिनांक से यदि मूल दस्तावेजों को कियोस्ककर्ता/लोकल सर्विस प्रोवाइडर/कृषक द्वारा स्वयं 30 दिवस उपरान्त संबंधित कृषि विभाग के कार्यालयों में भिजवाये जाने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

17. वर्ष 2016–17 मे जिले के निर्धारित लक्ष्यो मे 10–15 प्रतिशत का कार्य महात्मा गॉधी नरेगा श्रमिको के माध्यम से कराया जावेगा।
18. महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा अभिसरण अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियो के क्रियान्वयन के संबंध मे कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक प. 8 (5) आ.कृ./ज.उ/नरेगा/2014–15/6616–6713 दि. 22.01.2015 के अनुसार दिशा–निर्देशो का पालन किया जाकर कार्य पूर्ण कराये जावे। दिशा निर्देश कृषि विभाग की वेब साईट पर भी अपलोड है।
19. कार्यालय स्तर पर कृषक से प्राप्त आवेदन पत्र की जांच क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषक के यहाँ पूर्व में जल हौज बना हुआ नहीं है।
20. जिले हेतु चयनित “सांसद आदर्श ग्राम योजना” के तहत आवेदित अधिक से अधिक आवेदनो के आधार पर प्रमुखता से कार्य कराये जावे।
21. आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की जांच पश्चात् संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अनुदान हेतु प्राप्त जलहौज की पत्रावलियों का पंजीयन कर कार्य कराये जाने हतु “प्रशासनिक स्वीकृति” जारी करेगा।
22. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय जलहौज के भुगतान स्वीकृति हेतु वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद कार्यालय के माध्यम से अपने संबंधित खण्डीय कार्यालय को प्रेषित करेगा तथा संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डीय कार्यालय वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करेंगे।
  - वित्तिय एवं लेखा नियम पार्ट III Schedule of power के भाग द्वितीय के आईटम संख्या 8 D के तहत कार्यालय अध्यक्ष को 50000 रु. तक प्रत्येक मामले में अनुदान स्वीकृति करने की शक्तियां दी गई है। अतः GF&AR में संशोधन अनुसार जल-हौज निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत 50000/- रु. तक की अनुदान स्वीकृति संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय द्वारा जारी कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करेंगे। राशि रु 50000/- से अधिक के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में बिन्दु संख्या 22 की पालना सुनिश्चित करावे।
23. कृषक द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त संबंधित कार्यालय स्तर से सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन उपरान्त संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डीय कार्यालय वित्तिय स्वीकृति जारी करते हुए कृषकों को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान केवल आदाताके खाते में देय (A/c payee only) चैक/डी.डी./एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. से सुनिश्चित करेंगे।
24. प्रत्येक प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति की प्रति सम्बन्धित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् एवं खण्ड कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
25. कृषक को जल हौज निर्माण के भौतिक सत्यापन उपरान्त अनुदान का भुगतान किया जायेगा। भौतिक सत्यापन क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी के साथ सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भी कराया जा सकता है। भौतिक सत्यापन का कार्य सहायक कृषि अधिकारी द्वारा

भौतिक सत्यापन किये जाने पर संबंधित क्षेत्रिय कृषि पर्यवेक्षक व कृषक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

26. कृषक द्वारा जल हौज निर्माण उपरान्त निर्मित संरचना पर/के नजदीक लोहे के बोर्ड पर नियमानुसार विवरण,
- (अ) कृषि विभाग अनुदान सहायता से निर्मित जल हौज
- (ब) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2016–17
- (स) लाभान्वित कृषक श्री.....पुत्र श्री.....ग्राम.....पंचायत समिति.....  
...जिला .....।
- (द) स्वीकृत अनुदान राशि ..... रुपये
- अंकित किया जाना आवश्यक है तथा उक्त विवरण के साथ लाभान्वित कृषक का फोटो भौतिक सत्यापन के समय पत्रावली में संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
27. संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) खण्ड द्वारा 2 प्रतिशत, उप निदेशक कृषि (वि.) द्वारा 5 प्रतिशत, संबंधित सहायक निदेशक कृषि (वि.) द्वारा 30 प्रतिशत तथा कृषि अधिकारी द्वारा शत–प्रतिशत निरीक्षण किया जावेगा।
28. जिला स्तर पर आवेदित कृषकों के समस्त रिकार्ड का संधारण किया जावेगा।
29. उप निदेशक कृषि विस्तार अधीन उप जिलों को आंवटित लक्ष्यों को आवश्यकतानुसार उप जिलों में स्थानान्तरण कर सकता है। लक्ष्य स्थानान्तरण 25, जून, 2016 तक करके मुख्यालय कों सूचना भिजवायी जायें। इसके बाद लक्ष्य स्थानान्तरण स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
30. कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त जल हौज का रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।
31. “जलहौज निर्माण उपरान्त भुगतान किये जाने के साथ लाभान्वित कृषक सूची कृषि आयुक्तालय की ए.सी.पी. शाखा को भिजवाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त सूची विभाग की वेब पोर्टल पर अपलोड की जावेगी।”

#### अनुदान सीमा :-

सभी श्रेणी के कृषकों द्वारा 30X20X06 फीट न्यूनतम आकार के जल हौज का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रु. 350/- प्रति घन मीटर भराव क्षमता या अधिकतम रुपये 75000/- जो भी कम हो अनुदान की दर से नियमानुसार अनुदान देय होगा।

ऑन-लाईन जल हौज पर अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र

सेवा में,

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)

कृषक का  
फोटो

महोदय,

मैं कृषि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अपने खेत में जल हौज निर्माण करवाना चाहता हूँ। कृपया मुझे नियमानुसार जल हौज हेतु अनुदान स्वीकृत करने की कृपा करें। प्रार्थी का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (1) कृषक का नाम ----- पिता/पति का नाम-----
- (2) जाति ----- (अजा/अजजा/अन्य)
- (3) दूरभाष / मो. नम्बर.....
- (4) स्थाई पता :-
 

ग्राम-----	ग्राम	पंचायत.....	पंचायत	समिति .....
तहसील.....	जिला.....			
- (5) आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड संख्या .....
- (6) सहायक कृषि अधिकारी का क्षेत्र
- (7) कृषि पर्यवेक्षक का क्षेत्र
- (8) आवेदक के नाम जमीन-सिंचित (हैक्टर में)
 

असिंचित (हैक्टर में)	
कुल जमीन (हैक्टर में)	
- (9) कृषक के द्वारा चिह्नित जलहौज निर्माण का स्थान
 

मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
---------------	------------
- (10) जलहौज का आकार (फिट में) :-
 

ऊपरी लम्बाई	ऊपरी चौड़ाई	गहराई
सतही लम्बाई	सतही चौड़ाई	
जल भराव क्षमता (लाख लीटर में)		
- (11) पम्पसेट
- (12) स्प्रिंकन्लर/ड्रिप/माइको स्प्रिंकन्लर मॉडल
- (13) जल हौज बाउड्री का नवक्षा व नजरिया नवक्षा
 

उत्तर दिशा में	दक्षिण दिशा में
पूर्व दिशा में	पश्चिम दिशा में कृषक का नाम
- (14) गतवर्ष में मेरे द्वारा उक्त कार्य हेतु अनुदान प्राप्त नहीं किया है।
- (15) बैंक का नाम
- (16) ब्रांच का नाम
- (17) आईएफएसई कोड
- (18) खाता संख्या

### घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषण करता/करती हूँ कि पूर्व मे मेरे द्वारा अनुदान प्राप्त नहीं किया है तथा प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग नहीं करूंगा/करूंगी। उपरोक्त शर्तों की अवहेलना करने पर विभाग पूरी राशि वसूल करने का तथा वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

गवाह के हस्ताक्षर एवं नाम  
मय पूर्ण पता

कृषक का नाम एवं हस्ताक्षर  
दूरभाष सं. ....



प्रगति प्रपत्र

वर्ष 2016-17

योजना

माह :—

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	लक्ष्य			वित्तीय लक्ष्य			बजट आवंटन			भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति			
		सा.	अ. जा.	अ. जा.	महिला कृषक सं.	सा.	अ. जा.	महिला कृषक सं.	सा.	अ. जा.	महिला कृषक सं.	सा.	अ. जा.	महिला कृषक सं.	सा.	अ. जा.	महिला कृषक सं.
1	उप निदेशक कृषि (वि.)																
	सहायक निदेशक कृषि (वि.)																
	सहायक निदेशक कृषि (वि.)																
	सहायक निदेशक कृषि (वि.)																
	योग जिला																

(8)

πS

वर्ष 2016-17										
जलहोज निर्माण के लक्ष्य										
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	भौतिक लक्ष्य				वित्तिय लक्ष्य				
		सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	
1	उप निदेशक कृषि (वि.) जयपुर									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) आटवाडा	10	5	3	18	7.500	3.750	2.250	13.500	
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) सांगनेर	10	4	2	16	7.500	3.000	1.500	12.000	
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) शाहपुरा	10	4	2	16	7.500	3.000	1.500	12.000	
	योग जिला जयपुर	30	13	7	50	22.500	9.750	5.250	37.500	
2	उप निदेशक कृषि (वि.) दौसा									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) दौसा	10	3	7	20	7.500	2.250	5.250	15.000	
	योग जिला दौसा	10	3	7	20	7.500	2.250	5.250	15.000	
3	उप निदेशक कृषि (वि.) अजमेर									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) अजमेर	10	5	3	18	7.500	3.750	2.250	13.500	
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) व्यावर	10	4	2	16	7.500	3.000	1.500	12.000	
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) केकड़ी	10	4	2	16	7.500	3.000	1.500	12.000	
	योग जिला अजमेर	30	13	7	50	22.500	9.750	5.250	37.500	
4	उप निदेशक कृषि (वि.) बूदी									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) बूदी	5	3	2	10	3.750	2.250	1.500	7.500	
	योग जिला बूदी	5	3	2	10	3.750	2.250	1.500	7.500	
5	उप निदेशक कृषि (वि.) जौधपुर					0.000	0.000	0.000		
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) जौधपुर	100	25	25	150	75.000	18.750	18.750	112.500	
	योग जिला जौधपुर	100	25	25	150	75.000	18.750	18.750	112.500	
6	उप निदेशक कृषि (वि.) नागर									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) मेडता	20	5	3	28	15.000	3.750	2.250	21.000	
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) कुयामन सिटी	15	4	3	22	11.250	3.000	2.250	16.500	
	योग जिला नागर	35	9	6	50	26.250	6.750	4.500	37.500	
7	उप निदेशक कृषि (वि.) बाड़मेर									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) बाड़मेर	25	10	15	50	18.750	7.500	11.250	37.500	
	योग जिला बाड़मेर	25	10	15	50	18.750	7.500	11.250	37.500	
8	उप निदेशक कृषि (वि.) बीकानेर									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) बीकानेर	115	30	5	150	86.250	22.500	3.750	112.500	
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) छत्तरगढ़	110	25	5	140	82.500	18.750	3.750	105.000	
	योग जिला बीकानेर	225	55	10	290	168.750	41.250	7.500	217.500	
9	उप निदेशक कृषि (वि.) सीकर									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) श्रीमाधोपुर	3	1	1	5	2.250	0.750	0.750	3.750	
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) सीकर	3	1	1	5	2.250	0.750	0.750	3.750	
	योग जिला सीकर	6	2	2	10	4.500	1.500	1.500	7.500	
10	उप निदेशक कृषि (वि.) झुंझुनू									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) विडावा	5	3	3	11	3.750	2.250	2.250	8.250	
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) झुंझुनू	5	2	2	9	3.750	1.500	1.500	6.750	
	योग जिला झुंझुनू	10	5	5	20	7.500	3.750	3.750	15.000	
11	उप निदेशक कृषि (वि.) जालौर									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) जालौर	8	2	2	12	6.000	1.500	1.500	9.000	
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) भीनमाल	5	2	1	8	3.750	1.500	0.750	6.000	
	योग जिला जालौर	13	4	3	20	9.750	3.000	2.250	15.000	
12	उप निदेशक कृषि (वि.) सिरोही					0.000	0.000	0.000		
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) सिरोही	10	5	5	20	7.500	3.750	3.750	15.000	
	योग जिला सिरोही	10	5	5	20	7.500	3.750	3.750	15.000	
13	उप निदेशक कृषि (वि.) पाली									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) पाली	22	4	6	32	16.500	3.000	4.500	24.000	
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) पाली	22	4	6	32	16.500	3.000	4.500	24.000	
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) सोजत	25	4	7	36	18.750	3.000	5.250	27.000	
	योग जिला पाली	69	12	19	100	51.750	9.000	14.250	75.000	
14	उप निदेशक कृषि (वि.) चुरु									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) चुरु	30	10	10	50	22.500	7.500	7.500	37.500	
	योग जिला चुरु	30	10	10	50	22.500	7.500	7.500	37.500	
15	उप निदेशक कृषि (वि.) जैसलमेर									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) जैसलमेर	70	10	20	100	52.500	7.500	15.000	75.000	
	योग जिला जैसलमेर	70	10	20	100	52.500	7.500	15.000	75.000	
16	उप निदेशक कृषि (वि.) हनुमानगढ़									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) हनुमानगढ़	3	1		4	2.250	0.750		3.000	
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) नोहर	2	1		3	1.500	0.750		2.250	
	सहायक निदेशक कृषि (वि.) भादरा	2	1		3	1.500	0.750		2.250	
	योग जिला हनुमानगढ़	7	3	0	10	5.250	2.250	0.000	7.500	
	कुल योग	675	182	143	1000	506.250	136.500	107.250	750.000	